actionaid

उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड (श्रम विभाग) के

पंजीकृत श्रमिकों के लिये चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनायें

VIGYAN FOUNDATION

1- शिशु हितलाभ योजना (पंजीकृत श्रमिकों के नवजात बच्चों को उनके जन्म से दो वर्ष की आयु पूरा होने तक पौष्टिक आहार की व्यवस्था)

कौन लाभ ले सकता है : सभी पंजीकृत महिला एवं पुरुष (लाभ केवल दो बच्चों तक ही मिलेगा)

हितलाभ- वर्ष में एक बार एक मुश्त (लड़का होने पर 12,000/- तथा लडकी होने पर 15000 प्रति शिशु की दर से) दो वर्ष की आयु तक ही देय है।

2- मातृत्व हितलाभ योजना (पंजीकृत लाभार्थी महिला कर्मकारों को प्रसव के बाद पौष्टिक आहार की व्यवस्था)

कौन लाभ ले सकता है- सभी पंजीकृत महिला या पुरुष कर्मकार की पत्नी। लाभ अधिकतम दो प्रसव तक ही मिलेगा।

हितलाभ - 1). रु0 12000/- दो किस्तों में पंजीकृत महिला कर्मकार को और रु0 6000/- दो किस्तों में

पुरुष कर्मकार की पत्नी को

2) प्रथम किस्त प्रसव के बाद तथा द्वितीय किश्त बी0 सी0 जी0 का टीका लग जाने पर।

3- पुत्री विवाह अनुदान योजना (पंजीकृत श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना)

कौन लाभ ले सकता है 1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक (महिला एवं पुरुष) 2. श्रमिक का न्यूनतम 5 वर्ष तक नियमित सदस्य होना अनिवार्य है तथा प्रतिवर्ष नवीनीकरण हो रहा हो।

हितलाभ - 1) हितलाभ – 1) रु0 55,000/एक पुत्री को मिलेगा परन्तु यदि दो बच्चों में दोनों पुत्रियां है तो दोनों पुत्रियों को लाभ मिलेगा। और अगर अर्न्तजातिय विवाह होता है तो 61000/ तथा लड़की विकलांग है तो 61,000 रु0 मिलेगा।

2) अगर माता पिता दोनो ही निर्माण श्रमिक है तो किसी एक को ही यह सुविधा अनुमन्य होगी। यदि श्रमिक को

अपनी सन्तान न होने के कारण किसी अन्य को कानूनन गोद लिया हो तो केवल एक कन्या तक ही लाभ मिलेगा।

4– बालिका मदद योजना (पंजीकृत लाभार्थी कर्मकारों की आर्थिक मदद कर आत्म निर्भर बनाना।)

कौन लाभ ले सकता है– 1. सभी पंजीकृत महिला / पुरुष निर्माण श्रमिक जो न्यूनतम 01 वर्ष से सदस्य हो।

2. परिवार में जन्मी पहली बालिका को लाभ मिलेगा दूसरी को तभी मिलेगा जब दोनों सन्ताने बालिका ही हों। यदि प्रथम या द्वितीय प्रसव में एक से अधिक बालिकायें जन्मती है तो सभी को लाभ मिलेगा

3. कानूनी रुप से गोद ली हुयी बालिका को प्रथम बालिका मानते हुये लाभार्थी को लाभ मिलेगा

4. बालिका के जन्म का पंजीकरण जन्म–मृत्यु पंजिका पर होना अनिवार्य है ।

5. 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले यदि पुत्री की

मृत्यु हो जाती तो जमा किया गया पैसा बोर्ड को वापस हो जायेगा

हितलाभ- 1. रु0 25,000/– एक मुश्त लाभ 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही मिलेगा।

2. भुगतान अविवाहित रहने पर ही देय है।

3. परिवार के निकट किसी आंगनबाड़ी केन्द्र पर बालिका के जन्म से 01 एक वर्ष के अन्दर ही जन्म पंजीकरण कराना होगा।

5- अक्षमता पेंशन योजना (पंजीकृत लाभार्थी कर्मकारों के दुर्घटना/बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थाई रुप से विकलांग हो जाने पर लाभार्थी व उसके परिवार के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता)

कौन लाभ ले सकता है- पंजीकृत श्रमिक जो दुर्घटना/बीमारी के कारण पूर्ण या स्थाई रुप से (50 प्रतिशत से अधिक) विकलांग हो। यह लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक को ही मिलेगा।

हितलाभ– 1.रु0 1000/–प्रतिमाह बतौर पेंशन लाभार्थी के अक्षम हो जाने पर जीवन काल तक मिलेगा।

2. बीमारी से तात्पर्य लकवा, कुष्ठरोग, कैंसर तपेदिक एवं अन्य गम्भीर बीमारी, जिससे श्रमिक अक्षम हो गया हो ।

6– दुर्घटना सहायता योजना (पंजीकृत श्रमिकों की दुर्घटना हो जाने पर तुरन्त सहायता हेतु लाभार्थी श्रमिक या उसके अश्रितों को तत्कालिक अनुग्रह राशि प्रदान किया जाना।)

कौन लाभ ले सकता है– सभी लाभार्थी कर्मकार या उसके आश्रितों (पति/पत्नी, 18 वर्ष से कम अविवाहित पुत्रियां व पुत्रों तथा निर्भर माता– पिता) को देय होगा।

क–कार्य स्थल पर कार्य के दौरान या इतर मृत्यु हो जाने पर।

ख–पंजीकृत महिला कर्मकार की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने पर ।

हितलाभ– 1. रु0 5,00,000/– एकमुश्त, पंजीकृत श्रमिक की किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार वालों को ही मिलेगा।

2. रु0 3,00,000/एकमुष्त कर्मकार की स्थाई पूर्ण अपंगता पर मिलेगा। 200,000/– एकमुश्त कर्मकार की स्थाई आंशिक अपंगता पर मिलेगा ।

7– मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता (पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उसके अंतिम संस्कार को सम्पन्न किये जाने हेतु तत्कालिक आर्थिक सहायता)

कौन लाभ ले सकता है 1. पंजीकृत मृतक निर्माण श्रमिक के परिवार वाले।

2. यह सहायता आत्महत्या जैसी स्थिति में नही मिलेगी ।

हितलाभ : 1. रु0 15,000/– अंतिम संस्कार के लिये।

2. रु0 1,00,000/– एकमुश्त तत्कालिक सहायता राशि के रुप में आश्रितों को दी जायेगी।

8- कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना

उद्देश्यः- निर्माण श्रमिकों को उनमें कौशल (हुनर) सम्बन्धी ट्रेनिंग करवाना।

कौन लाभ ले सकता है—पंजीकृत महिला या पुरुष तथा 21 वर्ष से कम आयु वाले पुत्र व पुत्रियों को मिल सकेगा।

हितलाभ – प्रशिक्षण की दशा में संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क, पाठ्य पुस्तकें एवं प्रशिक्षण से सम्बधित अन्य लेखन सामग्री के खर्च का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जायेगा। श्रमिक द्वारा स्वयं प्रशिक्षण में भाग लेने पर प्रशिक्षण अवधि की मजदूरी भी मिलेगी जबकि आश्रित पुत्र/ पुत्रियों को नही मिल सकेगी।

9- आवास सहायता योजना : अधिकतर निर्माण श्रमिक गरीब होते है, परन्तु बी0 पी0 एल0 सूची में उनका नाम न होने से आवास का लाभ नही मिल पाता, जबकि वे

पात्र होते है। अतः योजना का मूल उद्देश्य पंजीकृत कर्मकारों को आवासीय सुविधा हेतु अनुदान उपलब्ध कराना है।

कौन लाभ ले सकता है–1 गत वित्तीय वर्ष में सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे। तथा प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवा रहा हो।

2. परिवार एक इकाई के रुप में लिया जायेगा।

3. लाभार्थी के पास स्वयं का अथवा परिवार का पक्का आवास न हो।

4 केन्द्र/प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं में आवास हेतु सहायता का लाभ पाने वाले श्रमिक इस योजना के पात्र नही होंगे।

5. उन श्रमिकों को लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं अथवा परिवार के नाम अपनी भूमि उपलब्ध हो ।

6. कार्य स्थान/निवास एक ही जिले में होने पर वरीयता दी जायेगी

7. श्रमिकों को इस योजना का लाभ जीवन में केवल एक

बार ही मिलेगा।

8. पति/पत्नी दोनों पंजीकृत है तो योजना के लाभ में पत्नी को वरीयता दी जायेगी ।

हितलाभ– रु0 1,00,000/– की धनराशि 2 किश्तों में। मरम्मत हेतु रु0 15,000/– की धनराशि मिलेगी। परन्तु एक ही लाभार्थी को दो लाभ एक साथ नही दिया जायेगा।

10– पेंशन योजना (पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, जिनकी आयु 60 वर्ष हो गयी है और जिनका वार्षिक अंशदान जमा हो, उनको निश्चित धनराशि पेंशन के रुप में दी जायेगी)

कौन लाभ ले सकता है – पंजीकृत श्रमिक 2–60 वर्ष की आयु पूरा करना तथा कम से कम 5 वर्ष पंजीकृत प्रतिवर्ष अंशदान दिया जाना।

हितलाभ– श्रमिक को प्रति माह 1000/–की धनराशि

उसके जीवित रहने तक उसे स्वयं और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी/पति को द्वितीयतः उसके आश्रित माता/पिता को, यदि वह किसी योजना के अन्तर्गत यह धनराशि पेंशन के रुप में देय होगी। पेंशन की धनराशि का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा। हर वर्ष पंजीयन अधिकारी के पास जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11– सौर ऊर्जा सहायता योजना

उद्देश्य– पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिवार को प्रकाश की आवश्यकता पूर्ण करना जिससे उनके बच्चों को पढाई करने में सहायता मिल सके।

कौन लाभ ले सकता है– पंजीकृत निर्माण श्रमिक लाभार्थी होंगे। किसी अन्य योजना में सोलर लाइट/लालटेन का लाभ न प्राप्त किया हो। (स्वयं, पति/पत्नी, आश्रित माता पिता, 21 वर्ष के कम आयु के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री

हितलाभ– 1. सोलर लाइट/लालटेन (एल0 ई0 डी0/सीएफएल) मिलेगी एवं रख रखाव/ सर्विस चार्ज के लिये नेडा, उत्तर प्रदेश से सम्पर्क होगा।

2. किसी भी धनराशि का भुगतान नही होगा। पूरे जीवन में केवल एक बार ही लाभ मिलेगा, यदि दोनों पति/पत्नी पंजीकृत हो तो भी ।

12– साइकिल सहायता योजना

उद्देश्य – पंजीकृत श्रमिकों को कार्यस्थल तक समय से पहुँचने तथा पैसे की बचत हेतु साईकिल की व्यवस्था।

कौन लाभ ले सकता है– 1. श्रमिक के रुप में कम से कम 6 माह से पंजीकृत हो।

2 केन्द्र अथवा प्रदेश सरकार की किसी अन्य योजना में साइकिल का लाभ न लिया हो।

हितलाभ – बोर्ड द्वारा साइकिल क्रय हेतु रु0 3,000 /– की धनराशि छूट के रुप में दी जायेगी , बाकी धनराशि श्रमिक द्वारा स्वयं दी जायेगी।

13– गम्भीर बीमारी सहायता योजना

उद्देश्य – पंजीकृत कर्मकार को स्वयं अथवा पारिवारिक सदस्य को गम्भीर बीमारी की स्थिति में सरकारी चिकित्सालय में कराये गये इलाज के उपरान्त किये गये खर्च का भुगतान।

कौन लाभ ले सकता है– सभी निर्माण श्रमिक (गत वित्तीय वर्ष से पंजीकृत) स्वयं एवं पारिवारिक सदस्य पात्र होंगे। इस योजना के अन्तर्गत हृदय आपरेशन, गुर्दा ट्रांसप्लान्ट, लीवर ट्रांसप्लान्ट, मस्तिष्क आपरेशन, रीढ़ की हड्डी आपरेशन, पैर के घुटने बदलना, कैंसर इलाज, एड्स की बीमारी आदि ही लाभान्वित होंगी।

हितलाभ– लाभार्थी स्वयं पारिवारिक सदस्य की गम्भीर बीमारी में प्रदेश के किसी सरकारी स्वायत्तशासी चिकित्सालय में कराये गये इलाज पर व्यय की शत–प्रतिशत पूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी

2– लाभार्थी गम्भीर बीमारी की स्थिति में राष्ट्रीय

स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार (CGHS / ESI) द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज कराते है तो इलाज के खर्च भुगतान सीधे अस्पताल को किया जायेगा।

14– मेधावी छात्र योजना (श्रमिकों के मेधावी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना एवं उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोडना।)

कौन लाभ ले सकता है– ऐसा श्रमिक जो पंजीकृत तथा उनके पुत्र पुत्रियों ने कक्षा 5 से 8 तक 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंको तथा कक्षा 9 से 12 तक 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो ।

हितलाभ–

- ❖ कक्षा 1 से 5 तक प्रतिमाह 100 रु0, कक्षा 6 से 7 तक प्राप्तांक 55 प्रतिशत पुत्रों को 4000 रु0 दो किस्तों में व पुत्रियों को 4500 रु0 दो किस्तों में
- ❖ कक्षा 8, प्राप्तांक 55 प्रतिशत, पुत्रों को 4500 रु0 दो

किस्तों में व पुत्रियों को 5500 रु0 दो किस्तों में

- कक्षा 9 व 10, प्राप्तांक 50 प्रतिशत, पुत्रों को 5000 रु0 दो किस्तों में व पुत्रियों को 5500 रु0 दो किस्तों में
- कक्षा 10 व 11, प्राप्तांक 50 प्रतिशत, पुत्रों को 10000 रु0 दो किस्तों में व पुत्रियों को 12000 रु0 दो किस्तों में
- बी0 ए0, बी कॉम, एम एस0 सी0 प्राप्तांक 60 प्रतिशत, पुत्रों को 12000 रु0 दो किस्तों में व पुत्रियों को 13000 रु0 दो किस्तों में
- आई टी आई, प्राप्तांक 60 प्रतिशत पुत्रों को 8000 रु0 दो किस्तों में व पुत्रियों को 10000 रु0 दो किस्तों में
- पॉलिटेक्निक/ डिप्लोमा राष्टीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लेने पर) पुत्रों को 5000 प्रतिवर्ष व पुत्रियों को 6000 प्रतिवर्ष
- इंजीनीयरिग व चिकित्सा डिग्री राष्ट्रीय अथवा

राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लेने पर) पुत्रों को 10,000 प्रतिवर्ष तथा पुत्रियों को प्रथम वर्ष 10,000 व द्वितीय वर्ष 12000

- **15– आवासीय विद्यालय योजना :** पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुये उन्हे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।
- कौन लाभ ले सकता है– पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों के ऐसे पुत्र पुत्रियां, जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है वे आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।
- **हितलाभ** – पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों के ऐसे पुत्र पुत्रियां, जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है वे आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते है।
- **16– माध्यान्ह भोजन सहायता योजना:** श्रमिकों को

उनके कार्य स्थल के आस पास एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना जिससे उनके स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके

❖ कौन लाभ ले सकता है – पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिक पात्र होंगे

❖ **हितलाभ**– पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक को निर्धारित मूल्य 10 रुपये अथवा समय–समय पर संसोधित मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। भोजन के मूल्य का भुगतान श्रमिक द्वारा सीधे नकद के रुप में लिया जायेगा। श्रमिक द्वारा भुगतान किये गये उक्त रुपये 10/– से अतिरिक्त लागत की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा सब्सिडी के रूप में संस्था को दी जायेगी।

• **पंजीकरण कौन व्यक्ति करवा सकता है और उसका तरीका**

❖ ऐसे सभी निर्माण श्रमिक जो 18 से 60 वर्ष की आयु के है और उन्होंने पंजीकरण के समय पिछले 12

महीनों में 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रुप में काम किया हो।

- श्रम विभाग जिला स्तरीय कार्यालय से निःशुल्क पंजीकरण फार्म प्राप्त कर सकते है।
- पंजीकरण फार्म के साथ दो फोटो आयु प्रमाण पत्र तथा 90 दिनों का कार्य प्रमाण पत्र वहीं मनरेगा श्रमिकों के लिये 50 दिनों) तक कार्य करने का प्रमाण– पत्र सहित 50 रुपये पंजीकरण शुल्क व 50 रुपये एक वर्ष का अंशदान जमा करके पंजीकरण संख्या सहित श्रमिक पहचान पत्र प्राप्त कर सकते है।
- निर्माण श्रमिक को प्रतिवर्ष 50 रुपये का अंशदान जमाकर विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पंजीकरण की निरन्तरता रखनी होगी।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अधीन भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों की श्रेणी

1. वेल्डिंग का कार्य 2.बढ़ई का कार्य 3.कुँआ खोदना 4. रोलर चलाना 5. छप्पर डलने का कार्य 6. राजमिस्त्री का कार्य 7. प्लम्बरिंग 8. लोहार 9. मोजैक पॉलिश 10. सड़क बनाना 11. मिक्सर चलाने का कार्य 12. पुताई 13. इलैक्ट्रिक वर्क 14. हथौडा चलाने का कार्य 15. सुरंग निर्माण 16. टाईल्स लगाने का कार्य 17. कुएं से गाद (तलछट) हटाने का कार्य/डिविंग 18. चट्टान तोडने का कार्य या खनिकर्म 19.स्प्रे वर्क या मिक्सिंग वर्क (सड़क निर्माण से समबद्व) 20. मार्बल एवं स्टोन वर्क 21. चौकीदार निर्माण स्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिये 22. चूना बनाना 23 मिट्टी का काम 24. सीमेंट कंक्रीट आदि ढोने का काम 25. लिफ्ट/स्वचलित सीढी की स्थापना का कार्य 26 सुरक्षा द्वार एवं अन्य उपकरणों की स्थापना का कार्य 27. मिट्टी बालू व खनन का कार्य 28 ईंट भट्ठों पर ईंट

निर्माण का कार्य 29 सामुदायिक पार्क या फुटपाथ का निर्माण 30. रसोई में उपयोग हेतु मॉड्यूलर इकाइयों की स्थापना 31 खिडकी ग्रिल, दरवाजे आदि की गढाई एवं स्थापना कार्य 32 मकानों भवनों की आंतिरक सज्जा कार्य 33. बडे यांत्रिक कार्य जैसे– मशीनरी पुल निर्माण कार्य आदि 34 अग्निशमन प्रणाली की स्थापना एवं मरम्मत कार्य 35. ठण्डा एवं गरम मशीनरी की स्थापना एवं मरम्मत कार्य 36 बाढ़ प्रबन्ध व इसी प्रकार के अन्य से सम्बंधित सभी कार्य 37. बाँध पुल सड़क का निर्माण या भवन निर्माण के अधीन कोई संक्रीया 38. स्वीमिंग पूल, गोल्फ कोर्स आदि / सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं का निर्माण कार्य 39 लिपिकीय/लेखा–कर्म (किसी निमार्ण अधीष्ठान लिपिक व लेखाकार के रुप में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मकारके लिये) 40 सभी प्रकार के पत्थर काटने, तोडने व पीसने के कार्य।

अधिक जानकारी के लिये टोल फ्री न0

18001805412 पर सम्पर्क करें।

विज्ञान फाउण्डेशन एक सामाजिक व चैरिटेबल संस्था है जो पिछले कई वर्षों से लखनऊ व आस पास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में वंचित समुदाय के लोगों के मूल–भूत अधिकारों के लिए सामुदायिक सहभागिता के साथ संघर्षरत् है। संस्था शिक्षा, जेण्डर व बुनियादी सुविधाओं के मुद्दों पर भी काम करती है। विज्ञान फाउण्डेशन लोगों की ज़रूरतों के लिए एक रचनात्मक और सामूहिक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। विज्ञान फाउण्डेशन का गठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 1988 में हुआ। हमारा उद्देश्य लोगों की गरिमा के एहसास को मज़बूत बनाना और समुदाय आधारित संगठनों के निर्माण के माध्यम से लोगों की बुनियादी अधिकारों की लड़ाई मज़बूत करना है। हमारा सपना शोषण से मुक्त समाज की स्थापना करना है।

विज्ञान का विश्वास है कि लोगों के जीवन के स्तर में व्यापक बदलाव तभी संभव है जब परिवर्तन की बागडोर लोगों के अपने हाथ में हो। इस नज़रिए के साथ विज्ञान टीम शहरी क्षेत्रों में, गरीब बस्तियों में रहने वाले मेहनतकश व आश्रयहीन समुदाय के साथ उनके सुरक्षित आवास व आजीविका के मुद्दे पर काम करती है। हमारा लक्ष्य समूह महिलाएं, बच्चे, युवा वर्ग और असंगठित क्षेत्र के कर्मकार हैं। हमारा उद्देश्य अलग अलग व्यवसायिक समूहों का संगठन निर्मित करके उन्हें एक व्यापक मोर्चे से जोड़ना है। हमारा यक़ीन है कि लोगों की अगुवाई में संगठन के रास्ते ही मुद्दों पर सार्थक संघर्ष किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व शिक्षा कार्यवाही के प्रमुख मुद्दे हैं।

विज्ञान फाउण्डेशन

डी–3191, इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016

E-mail : vigyanfoundation@gmail.com, vigyanfoundation@yahoo.com

Website : www.vigyanfoundation.org